निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 72 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** के माह **08/2017 से 10/2018 त**क के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 तथा श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में दिनांक **19.11.2018 से 24.11.2018** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल शर्मा एवं श्री राजेश सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25/08/2017 से 30/08/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 03/2014 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** के अंतर्गत खंड अधिशासी अभियंता, लो नि0 वि0 हरिद्वार, लक्सर एवं रुड़की के अधीनस्थ कार्यो की monitoring की जाती है।

इकाई को बजट आंवटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	_	_	56.79	49.21				7.58
2017-18	_	-	71.95	65.14				6.81
2018-19 (upto 09/2018)		-	60.93	41.37				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2018 को विस्तृत लेखा जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा अवधि मे अधिक व्यय के आधार पर कार्य **Not applicable** का चयन किया गया।

1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।
3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी माह **लागू नहीं** तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी माह **लागू नहीं** तक की गयी।
4. फार्म-51 माह **लागू नहीं** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है : .

   भाग प्रथम: .....

   भाग दितीय: .....

5॰ खंड के उच्चंत लेखो का अवशेष माह **लागू नहीं** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम :

(ख) रु सामग्री क्रय : रु 0.00

(ग) नगद परिशोधन : 0.00

(घ) निक्षेप : .....

(ङ) भंडार : .....

भाग- II(ब)

प्रस्तर- 1 : रु 13797.51 लाख व्यय के उपरांत भी 06 कार्यो का वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्षो से 07 वर्षो बाद भी अपूर्ण रहना

अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लो नि0 वि0, हरिद्वार के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि वृत्त के अधीनस्थ विभिन्न खंडो के अंतर्गत वर्ष 2011 से वर्ष 2013 के मध्य स्वीकृत किए गए कुल 06 कार्य जिनकी कुल लागत रु 15956.64 लाख थी (संलग्नकानुसार), को वर्तमान तक रु 13797.51 लाख व्यय के उपरांत वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष से 07 वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके थे जिससे उन कार्यो के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी थी और समय के साथ सामाग्री एवं श्रम कि दरे बढ़ाने से उनकी लागत मे भी वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर मे बताया गया कि ग्रामीणो के विवाद एवं बजट की कमी के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं किए जा सके एवं कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियंताओ को निर्देशत किया गया है।

अतः विभाग के उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यूंकी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि संबन्धित सभी विवाद सुलझा कर ही कार्य प्रारम्भ किए जाने चाहिए थे जिसके न होने कि वजह से योजना के लाभ से न केवल जनमानस वंचित रहा अपितु कार्य की लागत मे वृद्धि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः 06 कार्यो पर रु 13797.51 लाख व्यय के उपरांत भी वित्तीय स्वीकृति के 05 वर्ष से 07 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
26/2017-18	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एस के राय	अधीक्षण अभियंता	21.07.2016 से 11.09.2017 तक
श्री अनिल कुमार मित्तल	अधीक्षण अभियंता	11.09.2017 से वर्तमान तक

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

नाम	पदनाम
लागू नहीं	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियंता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2